संपादकीय जागरण

बुधवार, 4 जुलाई, 2018 : आषाढ़ कृष्ण 6 वि. 2075

सकारात्मक विचारों से ओत-प्रोत मन ही आनंद प्रदान कर सकता है

पुलिस सुधार

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधारों पर अपने दिशानिर्देशों की अनदेखी का संज्ञान लेकर बिल्कुल सही किया। अच्छा होता कि वह समय रहते यह देखता कि उसके दिशानिर्देशों पर अमल क्यों नहीं हो रहा है? कम से कम अब तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न केवल पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति उसके द्वारा दी गई व्यवस्था के हिसाब से हो, बल्कि उसके पुराने दिशानिर्देशों पर भी सही तरह से अमल हो। ऐसा इसलिए, क्योंकि 2006 में पुलिस सुधारों को लेकर दिए गए उसके सात सूत्रीय दिशानिर्देशों से बचने की कोशिश तत्कालीन केंद्र सरकार ने भी की और राज्य सरकारों ने भी। एक-दो राज्यों को छोड़कर बाकी सबने पुलिस सुधारों की दिशा में आगे बढ़ने के बजाय तरह-तरह के बहाने ही बनाए। इस बहानेबाजी के मूल में थी पुलिस का मनमाफिक इस्तेमाल करने की आदत। दरअसल राजनीतिक दलों की इस आदत ने ही पुलिस सुधारों की राह रोके रखी। राजनीतिक दलों की इसी प्रवृत्ति के चलते पुलिस सुधार संबंधी दिशानिर्देश एक तरह से ठंडे बस्ते में पड़े रहे। कायदे से मोदी सरकार को पुलिस सुधार को अपने एजेंडे पर लेना चाहिए था, लेकिन उसने शासन तंत्र को दुरुस्त करने की अपनी प्रतिबद्धता के बावजूद ऐसा नहीं किया। ऐसे हालात में इसके अलावा और कोई उपाय नहीं था कि खुद सुप्रीम कोर्ट अपने एक महत्वपूर्ण फैसले की अनदेखी पर गौर करता। चूंकि केंद्र सरकार समेत राज्य सरकारें पुलिस सुधारों के प्रति गंभीर नहीं थीं इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाहक पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति पर रोक लगाकर बिल्कुल सही किया।

यह अजीब है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों में कार्यवाहक पुलिस प्रमुख का कोई जिक्र न होने के बाद भी कई राज्य इस पद पर नियुक्ति करने में लगे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के तहत अब सभी राज्य पुलिस प्रमुख यानी डीजीपी की नियुक्ति के तीन माह पहले शीर्ष पुलिस अधिकारियों के नाम संघ लोक सेवा आयोग को भेजेंगे। यह आयोग इनमें से तीन अधिकारियों का एक पैनल बनाएगा। इसी पैनल से किसी एक नाम का चयन करने की सुविधा राज्य सरकारों के पास होगी। यदि एक बार पुलिस प्रमुख की नियुक्ति सही तरह से हो जाती है और उसका कार्यकाल भी कम से कम दो वर्ष तय हो जाता है तो फिर यह उम्मीद की जा सकती है कि वह पुलिस की कार्यप्रणाली को दुरुस्त करने के कुछ ठोस उपाय कर सकता है। अभी तो पुलिस प्रमुख अपनी कुर्सी बचाने की चिंता में ही अधिक रहते हैं। उन्हें इस चिंता से मुक्त होकर कानून एवं व्यवस्था को दुरुस्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सत्तारूढ़ नेताओं को भी यह समझना होगा कि पुलिस सुधारों से और अधिक समय तक बचा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक बार फिर यह बता रहा है कि किस तरह जो काम कार्यपालिका को करने चाहिए वे न्यायपालिका को करने पड़ रहे हैं। पुलिस सुधार की अनदेखी के इस मामले में आखिर राजनीतिक दल किस मुंह से यह कह सकते हैं कि न्यायपालिका अपनी सीमा लांघ रही है? यह भी ध्यान रहे कि जहां सत्तारूढ़ दल पुलिस सुधारों से कन्नी काटते रहे वहीं विपक्षी दल भी इस पर मौन साधे रहे।

जवाबदेह हम भी

मुख्यमंत्री का यह कहना कि किसी भी जिले में अचानक जाओ तो लगता है वहां महीनों से सफाई नहीं हुई, नगर निकायों की पोल खोल देता है। सच तो यह है कि यही बात हर नागरिक रोज कहता है। उत्तर प्रदेश के शहर यदि गंदे हैं तो जिम्मेदार यहां के नगर निकाय हैं। वे निकाय जहां लंबे समय से भाजपा काबिज है। शहरों की मुख्य सड़कों को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी कूड़े के ढेर देखे जा सकते हैं। ये ढेर स्कूलों के आगे भी मिलेंगे और मुहल्लों में भी। नगर निगमों के अधिकारी सफाई व्यवस्था को लेकर कितने जागरूक रहते हैं और अपनी ड्यूटी कितनी तत्परता से निभाते हैं, इसे मुख्यमंत्री के बयान से बखूबी समझा जा सकता है। सीएम का कहना है कि अगर अफसरों को पता चल जाए कि मुख्यमंत्री का दौरा होने वाला है तो सफाई हो जाती है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी भी दी कि अगर उन्होंने ईमानदारी से काम नहीं किया तो सरकार उन्हें दंडित करेगी।

> जिस दिन स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जाता है, उस दिन तो सफाई व्यवस्था दुरुस्त होती है पर उसके बाद वही ढाक के तीन पात

केंद्र और राज्य सरकार लगातार स्वच्छता अभियान को बढ़ावा दे रही है। आये दिन कोई न कोई अभियान चलाया जाता है, बावजूद इसके अधिकारी व कर्मचारी सबक लेने को तैयार नहीं। जिस दिन स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जाता है, उस दिन तो सफाई व्यवस्था दुरुस्त होती है पर उसके बाद वही ढाक के तीन पात। कार्यक्रम स्थल पर गंदगी हफ्तों तक पड़ी रहती है। महानगर हों या फिर छोटे शहर, हर जगह यही दुर्व्यवस्था है। गंदगी के लिए शहरवासी भी जिम्मेदार हैं। घर में होने वाले कार्यक्रमों का आयोजन वे सार्वजनिक स्थलों पर करते हैं पर समारोह के बाद वहां जूठे पत्तल आदि छोड़ जाते हैं।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या पूर्ण राज्य के दर्जे के बिना दिल्ली का विकास संभव नहीं है?

आज का सवाल
क्या फांसी की सजा के प्रावधान से ड्रग तस्करी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

मोदी की मजबूती और कमजोरी

कुलदीप नैयर

आपातकाल पर प्रधानमंत्री और मेरी राय एक है। हमारा मतभेद इस पर है कि हम किस तरह का समाज चाहते हैं?

मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी आलोचना को नोटिस किया। प्रधानमंत्री ने मेरी प्रशंसा करते हुए कहा, 'मैं वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर जी का सम्मान करता हूं। उन्होंने आपातकाल के दौरान आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। भले ही, वह हमारे कटु आलोचक हों, लेकिन आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैं उन्हें सलाम करता हूं।' जहां तक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से लगाए गए आपातकाल की आलोचना का सवाल है, प्रधानमंत्री और मेरी राय एक है। हमारा मतभेद इस पर है कि हम किस तरह का समाज चाहते हैं। वह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की चाहत रखने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक शाखा है और मैं एक विविधतावादी समाज बनाना चाहता हूं। उनकी पार्टी लोगों को बांटती है और मैं उसमें विश्वास रखता हूं जो महात्मा गांधी ने बहु-सांस्कृतिक राष्ट्र के बारे में सिखाया है। बहु-सांस्कृतिक राष्ट्र का अर्थ है ऐसा देश जहां अलग-अलग मजहब के लोग बिना भय के साथ रह सकते हैं। मुझे याद है कि गांधी जी अपनी प्रार्थना-सभाओं में कुरान के साथ गीता और बाइबल का पाठ कराते थे और अगर किसी ने इस पर आपत्ति की तो वह सभा नहीं करते थे। महात्मा गांधी का विविधतावाद का दर्शन राष्ट्र का स्वभाव था। मोदी गांधी जी का सम्मान करते हैं और सबका साथ सबका विकास कहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी का लक्ष्य इसके विपरीत है।

मोदी विचार-विमर्श के लिए नागपुर आलाकमान जाकर बहुत लोगों को निराश कर देते हैं। मुसलमान खासतौर पर नाराज होते हैं, क्योंकि उन्हें समाज मजहब के आधार पर बंटता दिखाई देता है, बाबरी मस्जिद को ढहाने के बाद से और ज्यादा। मोदी ने बुजुर्ग भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को सफलतापूर्वक पार्टी के मामलों से दूर रखा है। मोदी के कामकाज का तरीका भी इन नेताओं के कामकाज से अलग है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। हल्के रंग का हिंदुत्व पूरे देश में फैल गया है। प्रधानमंत्री को खुद से पूछना चाहिए कि क्या यह परिदृश्य लोगों के लिए अच्छा है? एक बहुसंस्कृति वाले समाज को विविधतावादी ही होना चाहिए, क्योंकि भारत के लिए यही सही है। जब शिक्षा या सरकार के दूसरे मामलों में महत्वपूर्ण पद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विश्वासपात्रों को दिए जाते हैं तो उदारवादियों, मुसलमानों और हाशिये पर रहने वालों का विश्वास हिल जाता है। मोदी को उनमें आत्मविश्वास भरना चाहिए ताकि उनके योगदान को भी बराबर के महत्व का समझा जाए। मैं देखता हूं कि अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस करते हैं। वे आबादी का एक चौथाई हैं।

तत्कालीन मुस्लिम लीग ने अपने समुदाय के मन में जहर भर दिया था और ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी कि रेलवे स्टेशनों पर पानी को भी अलग-अलग घड़ों में बांट दिया गया था। इसके तहत एक हिंदू और दूसरा मुसलमान के लिए चिन्हित कर दिया गया था। हिंदू खुश थे कि खान अब्दुल गफ्फार खान के प्रभाव वाला उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत उनके साथ था, लेकिन दूसरी तरफ वे मुसलमानों को ज्यादा छूट नहीं देते थे। अबुल कलाम आजाद, जो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में से थे, हिंदुओं के साथ आ गए थे, लेकिन मुस्लिम लीग ने धर्म के आधार पर बंटवारे के रास्ते को छोड़ा नहीं।

दुर्भाग्य से इसने छात्रों को प्रभावित किया जो अलग-अलग रसोई में जाते थे और अपना अलग समूह बनाते थे। मुझे याद है कि मैं लाहौर लॉ कालेज में आखिरी वर्ष में था, जब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने छात्रों को संबोधित किया। बेशक उन्होंने इस पर जोर दिया कि हिंदू और मुसलमान तो अलग राष्ट्र हैं, लेकिन उन्होंने समझाया कि उन्हें एक साथ रहना चाहिए और देश को विकसित करना चाहिए। मैंने प्रश्नोत्तर के सत्र में अपना संदेह जाहिर किया, लेकिन जिन्ना ने हमें भरोसा दिलाया कि भारत और पाकिस्तान बहुत अच्छे दोस्त होंगे। आज दोनों समुदायों में बहुत कम संपर्क है। भारत आने के लिए पाकिस्तानियों को वीजा मिलना लगभग नामुमकिन है और भारतीयों को पाकिस्तान जाने का। मेरी जो सबसे बुरी आशंका थी, वह सच साबित हुई। दोनों तरफ बहुत सारे लोग मानते हैं कि कश्मीर बाधा है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि कश्मीर भारत विरोधी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। अगर यह नहीं होता तो भारत से नफरत करने के लिए पाकिस्तान कोई और मुद्दा ढूंढ़ निकालता।

अवधेश राजपूत

प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभालने के तुरंत बाद पाकिस्तान से संबंध बढ़ाने की खूब कोशिश की। यहां तक कि उस समय के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को शुभकामना देने के लिए उन्होंने रूस और अफगानिस्तान से वापसी की अपनी यात्रा बीच में, लाहौर में रोक दी। दस सालों में यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा थी। अपनी बातचीत में दोनों नेताओं ने कश्मीर पर भी चर्चा की। अपने शासन के अंतिम साल में, मोदी पाकिस्तान को लेकर कोई पहल नहीं करेंगे ताकि ऐसा न हो कि कोई नई बहस शुरू हो जाए जो फायदेमंद न हो। मोदी का ध्यान विंध्य के पार के प्रदेशों पर केंद्रित रहेगा, क्योंकि हिंदी भाषी राज्यों में भाजपा काफी मजबूत दिखाई देती है। खतरा यह है कि सत्ता उन पर केंद्रित है और इसका अर्थ है-एक व्यक्ति का शासन।

ध्यान रहे कि आपातकाल में जब लोगों को लगा कि एक व्यक्ति का शासन कायम हो गया है तो श्रीमती गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया गया था। दुर्भाग्य से उनकी सत्ता को चुनौती देने वाला कोई और बड़े कद का नेता नहीं था और न ही उन्होंने किसी को बनने दिया था। भाजपा में परिस्थिति अभी ऐसी ही है। मोदी का विरोध करने वाला कोई नहीं है। यही उनकी मजबूती है और यही कमजोरी भी। पता नहीं, चुनाव के पहले प्रधानमंत्री कमजोर पक्षों को दुरुस्त कर पाते हैं या नहीं? मोदी एक ऐसे घोड़े पर सवार हैं जिससे वह चुनाव के पहले उतर नहीं सकते। उनकी सफलता इसी पर निर्भर करेगी कि आरएसएस के काडर कितना बेहतर कर पाते हैं। शायद मोदी चुनाव लड़ने के लिए कोई रणनीति बना रहे हैं और यह साफ है कि वही पार्टी होंगे। ऐसा लगता है कि बाकी पार्टियां इकट्ठा होने जा रही हैं और संघीय मोर्चा जैसा कुछ बनाएंगी। इसका प्रयास, जैसा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी कह चुकी हैं, मोदी को सत्ता में वापस आने से रोकने का होगा। ऐसे मोड़ पर मोदी को पार्टी की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, लेकिन यह कैसे संभव हो पाएगा जब वह खुद ही भाजपा बन गए हैं?

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

खेतों से निकले नए भारत की राह

आरबी सिंह

केवल कृषि उत्पादन बढ़ाने से नहीं, बल्कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम भी दिलाने से ही खेती का भला होगा

सवा अरब भारतीयों की आकांक्षाओं को भांपते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल 15 अगस्त को एलान किया था कि 2022 तक एक नए भारत का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने ऐसे स्वच्छ भारत की कल्पना भी की थी जिसमें शांति, संपन्नता, एकता, विविधता हो। नए भारत में शांति, समृद्धि और समावेशन के लिए जरूरी है कि वह गरीबी, भुखमरी और कुपोषण से भी मुक्त हो। नए भारत के निर्माण के साथ ही प्रधानमंत्री ने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का भी संकल्प लिया। ये दोनों संकल्प एक-दूसरे के पूरक हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित है। लगभग 12 करोड़ परिवारों की आजीविका खेती से चलती है। इनमें 85 प्रतिशत छोटे एवं सीमांत किसान हैं। यह भारत की कुल 55 प्रतिशत आबादी का हिस्सा है, जिसके दायरे में 70 करोड़ से अधिक लोग आते हैं। विडंबना यह है कि देश के सकल मूल्य वर्धन यानी जीवीए में कृषि का योगदान महज 15 प्रतिशत है। वहीं देश में खेतिहरों की औसत आमदनी गैर-खेतिहरों की एक चौथाई ही है। किसानों की कम और अक्सर अनिश्चित आमदनी ही कृषि संकट की जड़ है। आय में यह असमानता देश में गरीबी, कुपोषण, खराब सेहत और अक्षमता की वजह बनती है। ऐसे में किसानों और खेती के भविष्य की कड़ी देश के भविष्य से जुड़ी हुई है। नए भारत की राह किसानों के खेतों से होकर गुजरनी चाहिए।

1960 के दशक में भारत ने सफलतापूर्वक हरित क्रांति को अंजाम दिया। कालांतर में श्वेत, पीली और नीली क्रांति खाद्य उत्पादों के उत्पादन में अप्रत्याशित उछाल का जरिया बनीं। इसके चलते ही तकरीबन 28 करोड़ टन अनाज, 30 करोड़ टन फल एवं सब्जियां, 15 करोड़ टन दूध का उत्पादन संभव हुआ। इस इंद्रधनुषी क्रांति ने न केवल देश से भुखमरी एवं गरीबी को घटाने का काम किया, बल्कि एक वक्त दूसरे देशों की मदद के मोहताज देश को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की स्थिति में पहुंचा दिया। यह क्रांति तकनीक, नीतियों, सेवाओं, किसानों के उत्साह और दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के तालमेल से ही संभव हुई।

इंद्रधनुषी क्रांति और बीते कुछ अरसे से लगभग आठ फीसद की आर्थिक वृद्धि के बावजूद भूख और कुपोषण की मार झेल रहे दुनिया के लगभग 40 प्रतिशत बच्चे भारत में हैं। एक अनुमान के तौर पर कुपोषण के चलते भारत को हर साल जीडीपी के 6 से 10 प्रतिशत के बराबर नुकसान हो सकता है। भुखमरी के दुष्प्रभाव कई पीढ़ियों के साथ नाइंसाफी करते हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि कमजोर एवं कुपोषित बच्चों से एक मजबूत भारत का निर्माण कैसे किया जा सकता है? वैश्विक स्तर पर हुए अध्ययनों में यह सामने आया है कि भारत जैसे कृषि के लिहाज से महत्वपूर्ण देशों में कृषि एवं खाद्य तंत्र में वृद्धि भुखमरी, गरीबी और कुपोषण से निपटने में अन्य क्षेत्रों में हुई वृद्धि की तुलना में तीन गुना अधिक प्रभावी साबित होती है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कृषि अर्थव्यवस्था होने के नाते कृषि एवं खाद्य तंत्र के मोर्चे पर अपनी सक्षमता का लाभ उठाकर भारत को हालात बेहतर बनाने चाहिए। इसका अर्थ केवल उत्पादन बढ़ाने से ही नहीं, बल्कि उसके साथ ही किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाना, पारिस्थितिकीय सक्षमता, पर्यावरणीय सेहत एवं निरंतरता जैसे पहलू भी शामिल होने चाहिए। तेजी से उदार होती अर्थव्यवस्था और बदलते वैश्विक परिदृश्य में हमें कृषि विकास की व्यापक अवधारणा विकसित करनी होगी।

आबादी का बोझ लगातार बढ़त पर है और अनुमान है कि 2022 से 2025 के बीच हम जनसंख्या के मामले चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। इसे देखते हुए खाद्य उत्पादों की मांग बढ़ना स्वाभाविक है। खास तौर से उच्च पोषण तत्वों वाले उत्पादों की जरूरत ज्यादा बढ़ेगी। खाद्य अधिकार विधेयक, 2013 में भी इस जरूरत को घरेलू उत्पादन से पूरा करने की बात कही गई है। दूसरी ओर उत्पादन के साधन सिकुड़ रहे हैं। ऐसे में हमें जलवायु परिवर्तन एवं बाजारों की अनिश्चितता को देखते हुए कम संसाधनों में अधिक उत्पादन पर जोर देना होगा। इस चुनौती से पार पाने के लिए विज्ञान और तकनीक की मदद से नए तौर-तरीके इजाद करने होंगे। नवाचार को बढ़ावा देना होगा और आवश्यकता अनुरूप नए समाधान तलाशने होंगे।

धरती पर पहले से ही दबाव बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन, जैव-विविधता ह्रास से लेकर नाइट्रोजन चक्र के मोर्चे पर चुनौतियां विकराल होती जा रही हैं। ऐसे में हमें कुछ पहलुओं पर तत्काल विचार करना होगा। एक तो मांग को पूरा करने के लिए खाद्य उत्पादों की मात्रा और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए उनके उत्पादन पर जोर देना होगा। दूसरे, खेती को लाभदायक बनाते हुए पेशे के तौर पर समाज में उसका आकर्षण बढ़ाना होगा। इसके अलावा ऐसा तंत्र विकसित करना होगा जिसमें जल की मात्रा एवं गुणवत्ता, मृदा स्वास्थ्य एवं जैव-विविधता बेहतर बने। हमें जरूरत का सही आकलन कर समुचित उत्पादन करने की रणनीति इस तरह बनानी होगी जिसमें प्राकृतिक संसाधनों पर भी बहुत ज्यादा दबाव न पड़े। हरित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में हमें संसाधनों का कुशलता से प्रबंध करना होगा। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को अपनाकर इसका हल निकल सकता है। कुछ देशों द्वारा नीति बदलने से भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ वस्तुओं की आपूर्ति बिगड़ सकती है। तकनीकी हस्तांतरण भी प्रभावित होगा। इन हालात से निपटने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। इसके लिए सभी पक्षों को साथ मिलकर काम करना होगा। कृषि शोध की प्रासंगिकता और उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के साथ ही बायोसेंसर्स, जेनोमिक्स, जैव प्रौद्योगिकी एवं नैनोटेक्नोलॉजी जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर काम करना होगा। कृषि एवं खाद्य उत्पादों पर इनके कई दूरगामी लाभ सामने आए हैं।

सहकारी संघवाद की भावना के साथ केंद्र और राज्यों को भी ऐसी वैज्ञानिक नीतियां एवं संस्थान तैयार करने चाहिए जो किसानों सहित सभी संबंधित पक्षों तक बेहतर तकनीकों का तेजी से प्रसार कर सकें। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पोषक एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री किफायती दामों पर सभी जरूरतमंदों तक पहुंचे। भारत जैसे बड़े एवं विभिन्न जलवायु क्षेत्र वाले देश में एकीकृत कृषि डाटाबेस की भी दरकार है जिससे वैज्ञानिकों, किसानों और उद्योग जगत का भला हो सके। विपणन, बिक्री और ई-नाम जैसी गतिविधियों के लिए आधुनिक सूचना एवं संचार तंत्र बेहद जरूरी है। ऐसी गतिविधियां युवाओं को आकर्षित करेंगी और आशा करनी चाहिए कि इससे कृषि एवं खाद्य तंत्र में भी उनकी दिलचस्पी बढ़ेगी।

(लेखक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के चांसलर एवं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

अवसर

जीवन में अवसर का बहुत बड़ा महत्व है और अवसर सभी व्यक्तियों के जीवन मे अनगिनत और अनवरत आते हैं। बावजूद इसके कुछ लोग कहते सुने जा सकते हैं कि उनके जीवन में अवसर आए ही नहीं। उनके ऐसा कहने के पीछे केवल समझ का फेर है। वास्तविक कारण ऐसे लोगों से उनके जीवन में आए अवसरों को पहचानने में कहीं न कहीं हुई चूक है और इसीलिए कह रहे हैं। हां, यह जरूर है कि किसी के जीवन में अवसर कम आते हैं और किसी के जीवन में ज्यादा, लेकिन किसी की भी यह बात गले उतारना मुश्किल है कि उसके जीवन में अवसर ही नहीं। अब बात करते हैं अवसरों को पहचानने और उनके सदुपयोग या दुरुपयोग की। इसके लिए जरूरी है अवसरों का पहचानना। यह क्षमता हर व्यक्ति में अलग-अलग होती है। कोई तो अवसर को आहट मात्र से ही झपट लेता है, जबकि बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो जब तक अवसर आकर उनका दरवाजा न खटखटाए तब तक सोए रहते हैं।

कुछ महानुभाव ऐसे भी हैं जिनको अवसर झिंझोड़कर उठाते हैं, तब उठते हैं, फिर भी कुछ ऐसे भी हैं जो चादर ओढ़कर फिर सो जाते हैं। अब बात आती है अवसरों के सदुपयोग की। स्पष्ट है कि जो लोग जीवन में आए अवसरों को समय पर और समय रहते पहचान कर यथोचित उपयोग कर लेते हैं उनको जीवन में फिर कभी मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती और ईश्वर भी ऐसे लोगों के पास अवसरों की झड़ी लगा देते हैं। जहां तक अवसरों के दुरुपयोग की बात है वहां भी ईश्वर तो झड़ी ही लगाते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति दुरुपयोग की झड़ी लगाकर गर्त मे उतरते चले जाते हैं। ऐसे अनगिनत उदाहरण मिल जाएंगे जहां बड़ी तेजी से आगे बढ़ने वालों की सेना है तो वहीं उतनी ही तेजी से नीचे गिरने वाले लोगों की भी बड़ी खेप है।

कुछ यथास्थितिवादी भी हैं जो जीवन मे बार-बार अवसरों के चक्करों में नहीं पड़ना चाहते और जो कुछ प्रारंभिक अवसरों से मिल गया उसे ही मुकद्दर समझकर बाकी जीवन संतोष से जीना चाहते हैं। हर लिहाज से यह स्थिति सर्वोत्तम है, क्योंकि जीवन में संतोष से बड़ी कोई चीज नहीं है। बस यहां समझने की बात इतनी सी है कि संतोष कब और किस स्थिति में पहुंच कर करना चाहिए, यह निर्णय ठीक होना चाहिए।

डॉ. महेश भारद्वाज

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

गुमराह करने वाला तथ्य

दिनांक 29 जून को प्रकाशित इंफोग्राफिक 'पड़ोसियों से विवाद में चीन है दुनिया में अव्वल' तथ्यों से परे और पाठकों को गुमराह करने वाला है। चीन हमेशा से एक अच्छे पड़ोसी देश और मित्रतापूर्ण देश की राजनयिक नीति का अनुसरण करता रहा है। साथ ही चीन ने पड़ोसी देशों के साथ हमेशा ही मैत्रीपूर्ण सहयोग संबंधों को बनाए रखा है। दोस्ताना परामर्श और बातचीत के माध्यम से चीन ने साझा सीमा वाले 14 में से 12 देशों के साथ सीमा-विवाद को सुलझा लिया है और आज ये अंतरराष्ट्रीय सीमाएं शांतिपूर्ण एवं स्थिर और पूरी तरह से विवादमुक्त हैं। वर्तमान में चीन का केवल भारत और भूटान के साथ सीमा-विवाद का समाधान नहीं हुआ है। चीन और भारत के बीच करीब 2000 किलोमीटर की सीमा-रेखा है। चीन-भारत एवं चीन-भूटान के बीच अलग-अलग सीमा समाधान की वार्ता-प्रक्रिया जारी है। सीमा पर आमतौर से शांति एवं चैन का माहौल बना हुआ है। तिब्बत एवं ताइवान इतिहास में हमेशा से ही चीन के अंग रहे हैं। इस सच्चाई को अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने व्यापक रूप से स्वीकारा है और जिसमें भारत सरकार भी शामिल है। दक्षिण चीन सागर के कुछ क्षेत्र विवादग्रस्त हैं, लेकिन वहां भी स्थिति प्रायः स्थिर है। चीन की आसियान देशों के साथ 'दक्षिण चीन सागर आचार संहिता' वार्तालाप की प्रक्रिया निरंतर जारी है जो दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन द्वारा शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के दृढ़ संकल्प का शानदार उदाहरण है।

चिरुंग, भारत में चीनी दूतावास प्रवक्ता

अंधविश्वास

विश्वास करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही विश्वास अगर अंधविश्वास में बदल जाए तो यह कभी-कभी मौत का रूप धारण कर सकता है। अभी हाल ही में दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक घटना हुई। जहां पर अंधविश्वास के चलते एक ही परिवार के 11 सदस्यों ने मिलकर सामूहिक फांसी लगा ली जिसका एक मात्र कारण था...अंधविश्वास। इसके चलते उन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यह घटना हर किसी को हतप्रभ करती है। हर कोई हैरत में है। इन्हीं बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भी हमारी सोच कितनी विकसित हुई हो पाई है।

yoyorohit28@gmail.com

अंधविश्वास एक ठग

एक तरफ भारत जैसा अभयुदय देश 21वीं सदी की ओर बढ़ता हुआ तेजी से उन्नति कर रहा है जहां सरकार का मूल उद्देश्य देश के हर विभाग को डिजिटली जोड़ना है वहीं सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर पूरे विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनाना चाहती है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के कुछ लोग अंधविश्वास के घेरे में गिरते जा रहे हैं। भूत-प्रेत, जादू टोना, तंत्र मंत्र के फेरे में लोग बहुत तेजी से आ रहे हैं। धर्म के नाम पर दुकान खोलने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है छोटे-बड़े शहरों में ऐसे लोगों का तेजी से जाल फैल रहा है तंत्र-मंत्र के जाल में फंसाकर महिलाओं की भावुकता का फायदा उठाकर तांत्रिक, मौला मौलवियों और पाखंड पुजारी अपनी दुकान चला रहे हैं। सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई तो यह है कि इससे जिंदगी आसान ना होकर बर्बाद हो जाती है। सरकार को डिजिटल इंडिया के साथ ही इस दिशा में भी कड़े कानून बनाने की जरूरत है ताकि कोई भी यह जुर्म करने से पहले सोचे कि जो यह अपराध करने जा रहा है उसकी सजा कितनी बड़ी है।

neharaow~w{@gmail.com

घटना बनाम नियम-कानून

आज कोई भी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कितना भी डंका बजाए कि हमनें महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं । उनको देखने के बजाय हम मंदसौर जिले में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म की घटना से सब समझ सकते हैं। आपको याद होगा मध्यप्रदेश ही भारत का पहला राज्य बना जिसनें नियम बनाया कि अगर 12 साल की कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म होता है तो अपराधी को सजा ए मौत मिलेगी। इसके बाद इस कानून का अनुसरण करते हुए हरियाणा, राजस्थान व दिल्ली जैसे राज्यों नें भी अपने अपने राज्यों में इसे लागू करने का फैसला लिया। यानी मध्यप्रदेश में जनवरी में आए इस नियम के बाद अपराधियों के जहन में इतना खौफ होना चाहिए कि जो ये मंदसौर की अत्यंत क्रूर व अमानवीय घटना हो गई वो नहीं होनी चाहिए थी। और तो और इसके लगभग 2 महीने पहले इंदौर में इंसानियत को दहला देने वाली इसी तरह की घटना घटी जब साढ़े तीन साल की दुधमुंही बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। यानी कल इंदौर आज मंदसौर परसों कहीं और वाली बात आखिर कब तक चलती रहेगी । ऐसी घटनाएं कई तरह के सवाल खड़े करती हैं कि 8 मार्च के दिन हम महिला सुरक्षा की शपथ लेते हैं। बेटी दिवस मनाते हैं। लेकिन ये दिवस मनाने के बाद भी कुछ बदलता क्यों नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल भी अध्यादेश के जरिए उपयुक्त कानून को पॉक्सो एक्ट में बदलाव के साथ नियम बनाने की तैयारी में है। वसंत विहार सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद कई सारे नियम कानून बनते रहे हैं पर हालात जस के तस बने हुए हैं। हम इन परिस्थितियों को अभी हाल ही में आई थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन नामक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक देख ही चुके हैं जिसमें कहा गया है कि महिला सुरक्षा के मामले में भारत अफगानिस्तान, सीरिया व सउदी अरब जैसे देशों से बदतर स्तिथि में हैं। जाहिर तौर पर ऐसी रिपोर्ट पूरे देश को, पूरे समाज को कलंकित करने वाली है ।

tiwarishivendra951@gmail.com

ट्वीट-ट्वीट

यह है भारत की पहचान। इलाहाबाद में मुस्लिमों ने सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद के हिस्सों को तोड़ दिया ताकि कुंभ मेले के लिए सड़क को चौड़ा किया जा सके।
निशांत चतुर्वेदी@nishantchat

अंधेरी में गोखले ब्रिज लगातार बारिश के चलते धराशायी हो गया। रेलवे की आलोचना से पहले जान लें कि इसका जिम्मा बीएमसी के पास है और इसकी खस्ता हालत की खबरें आए दिन आती रहती थीं। फिर भी बीएमसी इसकी अनदेखी करता रहा जबकि उसका कार्यालय यहां से पांच मिनट की दूरी पर है।
शहजाद जयहिंद@Shehzad_Ind

सोशल मीडिया पर प्रियंका चतुर्वेदी को मिली धमकी निंदनीय है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते है। महिलाओं का सम्मान एवं सुरक्षा सर्वोपरि है। सरकार और पुलिस महिलाओं की सुरक्षा एवं इस तरीके की धमकियों/घटनाओं पर चुप्पी कैसे साध सकती है?
सचिन पायलट@SachinPilot

आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराने के लिए चुनाव आयोग ने ई-विजिल नाम से एक एंड्रॉयड एप्प लांच किया है। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एवं मिजोरम विधानसभा चुनावों के दौरान इसे प्रायोगिक तौर पर आजमाया जाएगा। फिर 2019 के चुनाव में इसका व्यापक स्तर पर उपयोग होगा।
भारती जैन @bhartijainTOI

जनपथ

फंदा डाला, मिल गए साक्षात भगवान,
सोचो कितना मूर्ख है पढ़ा-लिखा इंसान!
पढ़ा-लिखा इंसान मोक्ष की खातिर भटके,
खुद पूरे परिवार सहित फांसी पर लटके!!
तंत्र-मंत्र पर आप भरोसा करके अंधा,
खुद करते तैयार समझिए अपना फंदा।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 28 अंक 350